

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सं. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-0.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर 2008—भाद्र 19, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2008

क्रमांक 8578/डी. 240/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 04-09-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 20 2008)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2008

विषय सूची

खंड :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन एवं उसके कृत्य.
4. राज्य स्थायी समिति का गठन और उसके कृत्य.
5. जिला पुस्तकालय समिति का गठन एवं उसके कृत्य.
6. सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक:
7. निदेशक के कृत्य.
8. राज्य स्तरीय पुस्तकालय.
9. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के कृत्य.
10. राज्य संदर्भ पुस्तकालय के कृत्य.
11. जिला पुस्तकालय.
12. वित्त.
13. सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की मान्यता.
14. पालन नहीं होने/असफल रहने का उपबंध.
15. रिपोर्ट-और निरीक्षण.
16. परिषद् के सदस्य लोक सेवक होंगे.
17. सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण.
18. परिषद् के कार्य और कार्यवाहियां विधिमान्य होंगे.
19. नियम बनाने की शक्ति.
20. विनियम बनाने की शक्ति.
21. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 20 सन 2008)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2008

सार्वजनिक पुस्तकालय (ग्रंथालय) की स्थापना, सुदृढीकरण, रख रखाव तथा विकास हेतु व्यवस्था करने के लिए अधिनियम ।

यतः छत्तीसगढ़ राज्य में निशुल्क एवं प्रभावी ग्रामीण और नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढीकरण, रख रखाव और विकास तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं की व्यवस्था करना समीचीन है ;

अतः एतद्वारा भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2008 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में-

(क) 'पुस्तक' के अंतर्गत सम्मिलित हैं :-

(एक) प्रत्येक खण्ड, खण्ड का कोई अंश या भाग और किसी भाग में पैम्फलेट, किसी भाषा में समाचार पत्र, पत्रिकायें, धारावाहिक प्रकाशन और पाण्डुलिपियां;

(दो) कागज के ताव पर, संगीत, मैप, चार्ट या पृष्ठ जो पृथक रूप में मुद्रित या शिला-मुद्रित हो;

(तीन) दृश्य-श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री जैसे टेप, कैसेट, फिल्म, फिल्म, स्ट्रिप, माइक्रो कार्ड, माइक्रो फिल्म, कम्प्यूटर, फ्लॉपी, कम्पैक्ट डिस्क, फोटो-ग्राफ इत्यादि;

परिभाषाएं

- (ख) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुस्तकालय परिषद् के अध्यक्ष;
- (ग) 'परिषद्' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुस्तकालय परिषद्;
- (घ) 'निदेशक' से अभिप्रेत है, धारा 6 में निर्दिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक;
- (ङ) 'जिला' से अभिप्रेत है, राज्य का राजस्व जिला;
- (च) 'विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी' से अभिप्रेत है, पुस्तकालयों के कार्य की देखरेख हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय विज्ञान में व्यावसायिक अर्हता रखने वाला अधिकारी जो उप निदेशक की पद श्रेणी से निम्न का न हो;
- (छ) 'सार्वजनिक पुस्तकालय' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य संगठन द्वारा स्थापित अनुरक्षित और प्रबन्धित एवं जनता के लिये खुला घोषित कोई पुस्तकालय तथा उसमें सम्मिलित है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य पुस्तकालय;
- (ज) 'सहायता प्राप्त पुस्तकालय' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित कोई पुस्तकालय
- (झ) 'वर्ष' से अभिप्रेत है, किसी कैलेंडर वर्ष के प्रथम अप्रैल को प्रारंभ होने वाले बारह माह की कालावधि;

अध्याय-दो

परामर्शदात्री समितियां

राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन एवं उसके कृत्य

3. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक परिषद् का गठन करेगी जिसे राज्य पुस्तकालय परिषद् कहा जायेगा ।

(2) राज्य पुस्तकालय परिषद् में निम्नलिखित होंगे :-

1. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;

अध्यक्ष

2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,
पुस्तकालय प्रभारी; उपाध्यक्ष
 3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग; सदस्य
 4. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन या उसका
नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव के पद श्रेणी से
निम्न का न हो; सदस्य
 5. सचिव, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन या उसका
नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव के पद श्रेणी से
निम्न का न हो; सदस्य
 6. सचिव, योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन या उसका
नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव के पद श्रेणी से
निम्न का न हो; सदस्य
 7. सचिव, पंचायत विभाग, छत्तीसगढ़ शासन; सदस्य
 8. सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन; सदस्य
 9. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़; सदस्य
 10. पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय,
स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़; सदस्य
 11. छत्तीसगढ़ पुस्तकालय संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट एक
व्यक्ति; सदस्य
 12. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पुस्तकालय
अधिकारी; सदस्य
 13. अध्यक्ष, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कोलकाता द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; सदस्य
 14. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (पुस्तकालय कोषक)
स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन; सदस्य/सचिव
- (3) परिषद् इस अधिनियम के प्रशासन में उत्पन्न होने
वाले सभी मसलों पर राज्य सरकार को परामर्श देगी।

यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जैसा कि विहित किये जाये ।

- (4) कम-संख्या 11 से 13 तक में विनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।
- (5) परिषद का मुख्यालय रायपुर में होगा ।

राज्य स्थायी समिति
का गठन और
उसके कृत्य

4. (1) एक राज्य स्थायी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-
1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अध्यक्ष
 2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सदस्य
 3. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव के पद श्रेणी से निम्न का न हो; सदस्य
 4. सचिव, योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव के पद श्रेणी से निम्न का न हो; सदस्य
 5. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़; सदस्य
 6. अतिरिक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग; सदस्य
 7. विशेष कर्तव्य अधिकारी (पुस्तकालय कोष्ठक), स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन; सदस्य/सचिव

- (2) राज्य स्थायी समिति, राज्य पुस्तकालय परिषद द्वारा दिये गये निर्णयों और दिये गये सुझावों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी । यह राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं का नियोजन, अनुश्रवण और निष्पादन करेगी । यह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, राज्य पुस्तकालय परिषद या सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग से सम्बद्ध किसी अन्य बाह्य अभिकरण द्वारा सौंपे गये पुस्तकालय संबंधी कार्य की देखभाल करेगी ।

- (3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य स्थायी समिति के निम्नलिखित कृत्य भी होंगे :-

- (क) सार्वजनिक पुस्तकालय नीति और प्रणाली का निरूपण और संवर्धन करना;
- (ख) सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के संबंध में बजट और अन्य वित्तीय प्रस्ताव को प्रक्रिया में लाना, योजना बनाना और तैयार करना;
- (ग) सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय प्रणाली के विकास का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना;
- (घ) पुस्तकों और अन्य सामग्री का केन्द्रीय स्तर पर अधिग्रहण, उपायन और वितरण का नियोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समन्वय करना;
- (ङ) स्वयंसेवी सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय संघों को आवेदन पर मान्यता प्रदान करना;
- (च) राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्रियाकलापों का समन्वय और पर्यवेक्षण करना;
- (छ) पुस्तकालय परिषद और स्थायी समिति से संबंधित मामलों को प्रक्रिया में लाना;
- (ज) अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली पुस्तकालय संबंधी सेवाओं में सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने के लिये उपाय अपनाना;
- (झ) शिक्षा विभाग के अधीन अन्य पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित मामलों को प्रक्रिया में लाना;
- (ञ) राज्य के भीतर और बाहर व्यावसायिक निकायों और संघों से संपर्क स्थापित करना;
- (ट) राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधीन पुस्तकालयों से संबंधित मामलों पर परामर्श देना;
- (ठ) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए "अनवरत शिक्षा कार्यक्रम" यथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम इत्यादि आयोजित करना;

(ड) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उस अनुदेशित किये जाये ।

जिला
पुस्तकालय
समिति का गठन
एवं उसके कृत्य

5. (1) राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | |
|--|------------|
| 1. जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी,
जिला पंचायत | उपाध्यक्ष |
| 3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| 4. सचिव, जिला साक्षरता समिति | सदस्य |
| 5. जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 6. पेंशन भोगी संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति | सदस्य |
| 7. जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 8. संयुक्त संचालक/उप संचालक
सहायक संचालक, सूचना | सदस्य |
| 9. अध्यक्ष, जिला पंचायत या उसका नाम निर्देशिती | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, नगर निगम या उसका नाम निर्देशिती | सदस्य |
| 11. जिले के एक डिग्री महाविद्यालय का
पुस्तकालयाध्यक्ष, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा
नाम निर्दिष्ट किया जायेगा | सदस्य |
| 12. शासकीय महाविद्यालय का प्राचार्य, जो जिला
मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा | सदस्य |
| 13. जिला पुस्तकालय संघ का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 14. समन्वयक नेहरू युवा केंद्र | सदस्य |
| 15. पुस्तकालयाध्यक्ष, जिला शासकीय पुस्तकालय,
यदि कोई हो | सदस्य/सचिव |

(2) जहां किसी जिले में जिला शासकीय पुस्तकालय का कोई पुस्तकालयाध्यक्ष न हो, वहां कम-संख्या 12 में विनिर्दिष्ट सदस्य सदस्य-सचिव होगा ।

- (3) जिला पुस्तकालय समिति जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगी और उसकी प्रगति का अनुश्रवण (मानिटर) करेगी। यह ऐसे अन्य कृत्यों का भी निष्पादन करेगी जिन्हें विहित किया जाये।

अध्याय—तीन

सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक

6. माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक होगा और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के उचित प्रशासन और प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी होगा।

सार्वजनिक पुस्तकालयों
का निदेशक

7. राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निदेशक—

निदेशक के कृत्य

(क) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास के लिये वार्षिक बजट, वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करेगा और सरकार को प्रस्तुत करेगा;

(ख) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों, जिनके अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालय भी हैं, के कार्य पर विवरणात्मक और सांख्यिकीय रिपोर्ट एवं आंकड़े एकत्र करेगा;

(ग) पुस्तकालय का और विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों की सूचना सेवाओं का न्यूनतम मानक निर्धारित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसा मानक बनाए रखें;

(घ) विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय कर्मियों के उनके सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण को सुनिश्चित, आयोजित और सहयोग प्रदान करेगा;

(ङ.) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का समुचित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा;

(च) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य का पर्यवेक्षण और समन्वय करेगा;

- (छ) जिला स्तर पर पुस्तकालय समितियों के समुचित कार्य संचालन को सुनिश्चित करेगा;
- (ज) सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा;
- (झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय समय प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें ।

अध्याय— चार

सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की संरचना और विभिन्न राजकीय केन्द्रों और पुस्तकालयों के क

राज्य स्तरीय
पुस्तकालय

8. राज्य में दो राज्य स्तर के पुस्तकालय होंगे जिसमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय रायपुर होगा और दूसरा राज्य संदर्भ पुस्तकालय बिलासपुर होगा ।

राज्य केन्द्रीय
पुस्तकालय के
कृत्य

9. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—
- (क) सामान्य जनता के लिये उपयोगी समस्त वाचन सामग्रियां प्राप्त करना एवं व्यवस्था करना;
- (ख) सामान्य जनता को स्ववाचन की सुविधा प्रदान करना;
- (ग) राज्य में अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये किसी अनुपूरक के रूप में कार्य करना;
- (घ) व्यापक स्तर पर जनता के माध्य वाचन की आदतें संवर्धित करने हेतु पुस्तक प्रदर्शनियों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों और अन्य कियाकलापों का आयोजन करना;
- (ङ) राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विकास योजनाओं/कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित सूचना का प्रसार करने हेतु किसी अभिकरण के रूप में कार्य करना;
- (च) ऐसी रीति से जैसी कि विहित किए जाए, सामान्य जनता को पुस्तक उधार देने की सेवाएं प्रदान करना;

- (छ) अन्तर्पुस्तकालय ऋण सेवा सहित, राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के मध्य पुस्तकालय सहयोग की योजना बनाना और उसमें समन्वय स्थापित करना;
- (ज) विकलांगों को वाचन सुविधाएं और विशेष सेवाएं प्रदान करना;
- (झ) राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना;
- (ञ) राज्य में विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए सहायक प्रणाली के रूप में नव साक्षरों के लिये उपयुक्त साहित्य प्राप्त एवं उपलब्ध कराना;
- (ट) राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों में कम्प्यूटरीकरण को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक पुस्तकालयों में कार्यरत वृत्तिकों की प्रसुविधा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- (ठ) ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे राज्य पुस्तकालय परिषद् या निदेशक, राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकास और सेवा द्वारा सौंपे जायें;

10. राज्य संदर्भ पुस्तकालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

- (क) राज्य में प्रकाशित समस्त उपयोगी सामग्रियों को प्राप्त करना;
- (ख) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की कम्प्यूटरीकृत संयुक्त सूचियां संकलित करना;
- (ग) विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं की प्रसुविधाओं के लिए विशेष रूप से 'मानविकी' और 'सामाजिक विज्ञान' के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर व्यापक ग्रंथ सूचियां संकलित करना एवं प्रकाशित करना;
- (घ) संदर्भ और अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए सामान्य जनता को वाचन सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- (ङ) राज्य में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हस्तलिखित दुर्लभ पाण्डुलिपियां अर्जित करना और ऐसी दुर्लभ पाण्डुलिपियों

राज्य संदर्भ
पुस्तकालय के कृत्य

- की व्यापक ग्रंथ सूचियों का संकलन करना और प्रकाशित करना;
- (च) ससायनिक उपचार या/और माइक्रोफिल्मिंग की सहायता से दुर्लभ पाण्डुलिपियों का परिरक्षण करना;
- (छ) राज्य के विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों की संयुक्त सूची संकलित करना;
- (ज) सामान्य हित के महत्वपूर्ण पहलू पर विभिन्न अभिलेखन क्रियाकलापों और समाचार पत्रों का क्रियान्वयन करना;
- (झ) स्थायी महत्व रखने वाली सामग्री की पहचान करने के पश्चात ऐसी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिये सार्वजनिक पुस्तकालयों के पुराने और अनुपयोगी संग्रह का परीक्षण और मूल्यांकन करना;
- (ञ) अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों में पाठकों की प्रसुविधा के लिये पुस्तकालय संचालन के विभिन्न पहलुओं पर अन्तर्पुस्तकालय प्रदाय सहित पुस्तकालय सहयोग को प्रोत्साहित करना;
- (ट) उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिये विभिन्न विद्यमान कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय नेटवर्क यथा "डी इ एल एन इ टी" इत्यादि में भाग लेना;
- (ठ) राज्य पुस्तकालय परिषद या निदेशक द्वारा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास के लिए सौंपा गया कोई कार्य कार्यान्वित करना ।

जिला पुस्तकालय

11.

प्रत्येक जिले में एक शासकीय जिला पुस्तकालय होगा । जिला पुस्तकालय जिले के लिए प्रदाय और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त जिला पुस्तकालय प्रणाली के लिए शीर्ष पुस्तकालय के रूप में कार्य करेगा । जिला पुस्तकालय -

(क)

जनता के उपयोग के लिए उपयोगी और मानक साहित्य और अन्य वाचन सामग्री, श्रव्य-दृश्य उपस्कर का संग्रह करेगा;

- (ख) क्षेत्रीय/स्थानीय हित की सामग्री का संग्रह करेगा;
- (ग) संदर्भ, सूचना और प्रदाय सेवाओं को उपलब्ध करायेगा और वाचन आदतों को बढ़ावा देने और उसमें विस्तार करने में सहायता करेगा;
- (घ) शाखा/तहसील/खण्ड/ग्राम पुस्तकालय और अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित पुस्तकालय के संग्रह की अनुपूर्ति करेगा;
- (ङ) जिले में अन्तर्पुस्तकालय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा और पर्यवेक्षण करेगा;
- (च) चल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था करेगा और जहां कहीं आवश्यक हो पुस्तक परिदान केन्द्र स्थापित करेगा;
- (छ) जिले के अन्य शासकीय शाखा/तहसील/खण्ड/ग्राम पुस्तकालयों और चल पुस्तकालय सेवाओं के कियाकलापों में समन्वय स्थापित करेगा और उसका पर्यवेक्षण करेगा;
- (ज) जिले में सावधिक रूप से अन्य शासकीय पुस्तकालयों और अन्य सहायता प्राप्त पुस्तकालयों का निरीक्षण करेगा;
- (झ) जिला पुस्तकालय प्रणाली के लिए विकास योजनाओं की तैयारी के कार्य में जिला पुस्तकालय समिति को सहायता उपलब्ध करायेगा;
- (ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो उसे जिला पुस्तकालय समिति द्वारा सौंपे जायें ।

अध्याय- पांच

वित्त

12. पुस्तकालय विकास योजना, राज्य के केन्द्रीय और अकेन्द्रीय वार्षिक और पंचवर्षीय योजनांतर्गत और आयोजनांतर्गत बजट का समग्र भाग होगा । राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की सहायता और उसके विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने के अर्थोपाय का भी पता कर सकेगी ।

वित्त

अध्याय— छः

मान्यता देना एवं मान्यता का वापस लिया जाना

सार्वजनिक पुस्तकालयों
और सार्वजनिक
पुस्तकालय संघों की
मान्यता

13. (1) राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित, किसी पुस्तकालय, या किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जनता के उपयोग के लिए खोले गये किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय को उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, नियमों के अनुसार, उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य में किसी सार्वजनिक पुस्तकालय संघ को मान्यता प्रदान कर सकेगी ।

पालन नहीं होने
असफल रहने का
संबंध

14. किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में यदि यह पाया जाता है कि वह वैध निर्देश का पालन नहीं कर पा रहा है/असफल रहता है, अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियम द्वारा किए गए किसी बाध्यता को पूरा करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार, राज्य परिषद् से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् राजपत्र में आदेश प्रकाशित करते हुए लिखित आदेश द्वारा ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालय की मान्यता वापस ले सकेगी ।

तथापि उक्त सार्वजनिक पुस्तकालय के संबंध में स्थायी समिति द्वारा राज्य परिषद् को प्रतिवेदन भेजे जाने के पश्चात् ही राज्य परिषद् द्वारा प्रतिवेदन भेजा जावेगा ।

अध्याय— सात

रिपोर्ट और निरीक्षण

रिपोर्ट और
निरीक्षण

15. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबन्धन का प्रभारी हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो, सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का प्रभारी हो, ऐसी रिपोर्ट और विवरणियां प्रस्तुत करेगा और ऐसी सूचना उपलब्ध करायेगा जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर अपेक्षा करे ।

(2) निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन लिए कि इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है, सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों या उससे सम्बद्ध किसी संस्था या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाली किसी संस्था के निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी ।

(3) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर निदेशक, उस वर्ष में, ऐसी सूचना और विवरणों, जैसा कि विहित किया जाये, के साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की कार्यप्रणाली और उनके प्रशासन तथा उनके द्वारा की गयी प्रगति पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय— आठ

प्रकीर्ण

16. इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बनाये गए किसी नियमों और विनियमों के अनुसरण में कार्य करने के दौरान या करने के लिए तात्पर्यित परिषद् के समस्त सदस्य को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों के भीतर लोक सेवक माने जाएंगे ।

परिषद् के सदस्य लोक सेवक होंगे

17. इस अधिनियम के उपबन्धों या अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में सदभावनापूर्ण की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए परिषद् या उसके किसी सदस्य या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

सदभावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

18. परिषद् या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी—

परिषद् के कार्य और कार्यवाहियां विधिमान्य होंगे

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि, या

(ख) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता ।

नियम बनाने की
शक्ति

19. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
- (2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त या किसी मामले का उपबंध करने के लिए ऐसे नियम बनाये जा सकेंगे, अर्थात् :-
- (क) सार्वजनिक पुस्तकालय संघों या पुस्तकालय अधिकारियों से प्रतिनिधि निर्वाचित करने की रीति;
- (ख) अध्यक्ष द्वारा निष्पादित की जाने वाली शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य;
- (ग) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य, जिनका प्रयोग और निष्पादन परिषद् द्वारा किया जा सके;
- (घ) परिषद् और उसकी समितियों के सदस्यों को संदेय भत्ते और दरें जिन पर उन्हें भुगतान किया जायेगा;
- (ङ) निदेशक या पुस्तकालय प्रकोष्ठ द्वारा प्रयोग और निष्पादित की जाने वाली अन्य शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य;
- (च) जिला पुस्तकालय समितियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कृत्य;
- (छ) सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की मान्यता;
- (ज) वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली सूचना और विवरण;
- (झ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता है।

विनियम बनाने की
शक्ति

20. (1) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनसंगत विनियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती श्रावित्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त या किसी मामले के लिए ऐसे विनियम का उपबन्ध कर सकेंगी; अर्थात्:-

(क) समय, दिनांक और स्थान, जिस पर परिषद बैठक करेगी और अपनी बैठक में अपने कार्य करने के संबंध में प्रक्रिया के नियम, जिनका परिषद पालन करेगी ।

(ख) अन्य समितियां, जिनका गठन परिषद कर सकती है, उनमें सदस्यों की संख्या और कृत्य, जिनका निष्पादन ऐसी समितियों द्वारा किया जा सकता है ।

21. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित करते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत ऐसे प्रावधान बना सकेगी जैसा कि उसे कठिनाई के निवारण हेतु आवश्यक प्रतीत हो ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति

(2) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के पटल पर रखे जायेंगे ।

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2008

क्रमांक 8578/डी. 240/21-अ/प्रा./छ. ग./08.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक-20 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव

CHHATTISGARH ACT

(No. 20 of 2008)

THE CHHATTISGARH PUBLIC LIBRARIES ACT, 2008

An Act to provide for the establishment, organization, maintenance and development of Public Libraries.

Whereas it is expedient to provide for the establishment, organization maintenance and development of free and effective rural and urban Public Libraries and other allied service in the State of Chhattisgarh;

It, is hereby, enacted in the Fifty-Ninth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short Title, extent
and commencement

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Public Libraries Act 2008.
- (2) It extend to whole of the State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In this Act, -
 - (a) "Book" includes, -
 - (i) every volume, a part or division of a volume and pamphlet, in any language, newspapers, periodicals, serial publication and manuscripts;
 - (ii) sheet of music, map, chart or plan separately printed or lithographed;
 - (iii) audio-visual, audio and visual materials such as tapes, cassettes, films, filmstrips, micro card, microfilm, computer, floppy, compact disk, photograph etc ;

(b) "Chairman" means the Chairman of the State Library Council constituted under this Act;

(c) "Council" means the State Library Council constituted under this Act;

(d) "Director" means the Director of Public Libraries referred to in Section 6;

(e) "District" means a Revenue District of the State;

(f) "Officer on Special Duty (Libraries)" means an officer having professional qualification in Library Science not below the rank of Deputy Director appointed by the state Government to look after the affairs of Libraries;